



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब0/1340/2026 दिनांक : 05/05/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध बी०एड० महाविद्यालय,
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: उत्तर प्रदेश बी०एड० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल इंटरशिप (प्रशिक्षण) कार्यक्रम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, लखनऊ के पत्र संख्या 1/1314173/2026/सत्तर-7-2026 दिनांक 30.04.2026 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) विनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप बी०एड० पाठ्यक्रम में स्कूल इंटरशिप (प्रशिक्षण) कार्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। बी०एड० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल इंटरशिप (प्रशिक्षण) की कुल अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

1. प्रथम वर्ष में - 04 सप्ताह
3. द्वितीय वर्ष में - 16 सप्ताह

यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त छात्र-छात्राओं की इंटरशिप अनिवार्य रूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कराई जाए। यदि निकट में कोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध न हो, तो वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में इंटरशिप कराई जाए। प्रत्येक महाविद्यालय अपने छात्र-छात्राओं की सूची समय से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOs) को उपलब्ध कराए, जिससे उनके द्वारा विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जा सके।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. उप-कुलसचिव, शैक्षिक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट—उक्त सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
5. अधिकृत एजेंसी— उक्त सूचना समस्त बी०एड० महाविद्यालयों के लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल।

कुलसचिव